



समान नागरिकी संहतिः परंपरल और आधुनकितल में संतुलन

यह एडिटोरियल 27/12/2022 को 'हडुस्तलन टाइम्स' में प्रकलशति "Uniform Civil Code: Reframe the debate" लेख पर आधररति है । इसमें भरत में समलन नलगरकल संहति और ललग-तटस्थ नलगरकल संहति की आवश्यकतल के बलरे में चरचल की गई है ।

संदरभ

[समलन नलगरकल संहति \(Uniform Civil Code- UCC\)](#) की अवधलरणल पर भरत में दशकों से बहस चल रही है और लंबे समय से कूछ रलजनीतकल एवं सलमलजकल सुधलर आंदोलनों दवलरल इसकी मलंग की जलती रही है । UCC को भरतीय संवधलन में एक नरदेशक सदधलंत के रूप में शलमलल रखल गलल है, जसलकल अरथ यह है कल यह वधकल रूप से प्रवरतनीय तो नहीं है लेकनल सरकलर एक मलरगदरशक सदधलंत के रूप में इसकल अनुपललन कर सकती है ।

- UCC भरत में एक वभलजनकलरी मुददल है, जसलके समरथकों कल तरक है कल यह समलनतल एवं पंथनरलपेकषतल को बढवल देगल, जबकल इसके वरलधरतल कल तरक है कल यह धलरमकल स्वतंत्रतल एवं सलंसकृतकल अभूयलसों में हसतकषेप करेगल ।
- कुल मललकलर, भरत में UCC पर जलरी बहस देश में वधल, धरम और संसकृतकल के बीच के जटलल एवं संवेदनशील संबंधों को उजलगर करती है, जसलकी एक अलग दृषटकलण से संवीकषल की जलनी चलहलतल तथल इसे चरणबद्ध एवं समग्र तरीके से संबोधतल कलतल जलनल चलहलतल ।

समलन नलगरकल संहति कल है?

- समलन नलगरकल संहति (UCC) भरत के ललतल प्रसूतलवतल एक वधकल ढलँचल है जो देश के सभल नलगरकल के ललतल—चलहे वे कसल भी धरम से संबधतल हों, ववलह, तललक, गलद लेने एवं उत्तरलधकलर जैसे वलकृतगतल वषलतल से संबधतल सलरवभूमकल यल एक समलन कलनूनों को संहतलबद्ध और ललगू करेगल ।
- इस संहतल की आकलकषल संवधलन के अनुच्छेद 44 में वलकृत हुई है जहलँ कलहल गलल है कल रलज्य, भरत के समसूत रलज्यकषेत्र में नलगरकल के ललतल एक समलन सवललल संहतल प्रलप्त करलने कल प्रयलस करेगल ।

भरत में वलकृतगत कलनून यल 'परसनल लॉ' की वरतमलन स्थतलतल

- ववलह, तललक, उत्तरलधकलर जैसे वलकृतगतल कलनून के वषलतल समवरती सूची के अंतरगत शलमलल हैं ।
- भरतीय संसद दवलरल वरष 1956 में हदु वलकृतगतल कलनूनों (जल सखलँ, जैनलतलँ और बलद्धों पर भी ललगू होते हैं) को संहतलबद्ध कलतल गलल थल ।
 - इस संहतल वधलतलक को चलर भलगों में वभलजतल कलतल गलल है:
 - हदु ववलह अधनलतलम, 1955
 - हदु उत्तरलधकलर अधनलतलम, 1956
 - हदु अपरलप्तवयतल और संरकषकतल अधनलतलम, 1956
 - हदु दत्तक तथल भरण-पलषण अधनलतलम, 1956
- दूसरी ओर, वरष 1937 कल शरीयत कलनून भरत में मुसलमलनों के सभल वलकृतगतल मलमलों को नरतलरतल करतल है ।
 - इसमें स्पष्ट रूप से कलहल गलल है कल रलज्य वलकृतगतल ववलदों के मलमलों में हसूतकषेप नहीं करेगल और एक धलरमकल प्रलधकलरण कुरलन और हदीस की अपनी वलखूयल के आधलर पर एक घलषणल करेगल ।

भरत में समलन नलगरकल संहतल के पकष में तरक

- **लैंगकल समलनतल की ओर कदम:** भरत में वलकृतगतल कलनून प्रलतः मलहललओं के सलथ भेदभलव करते हैं, वशलष रूप से ववलह, तललक, उत्तरलधकलर और संरकषण से संबधतल मलमलों में ।
 - समलन नलगरकल संहतल इस तरह के भेदभलव को समलप्त करने और लैंगकल समलनतल को बढवल देने में मदद करेगी ।
- **कलनूनों की सरलतल और स्पष्टतल:** समलन नलगरकल संहतल वलकृतगतल कलनूनों के मलजूदल दुलमुल तंतर को नलतलमें के एक समूह से प्रतलसलथलपतल कर वधकल प्रणलली को सरल बनलएगी जो सभल वलकृततलँ पर समलन रूप से ललगू होगी ।
 - इससे सभल नलगरकल के ललतल कलनून अधकल सुलभ हो जलएँगे और वे इसे आसलनी से समझ ललएँगे ।

- **एकरूपता और नरिंतरता:** समान नागरिकी संहिता कानून के अनुप्रयोग में नरिंतरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यह सभी के लिये समान रूप से लागू होगी। यह कानून के अनुप्रयोग में भेदभाव या असंगतता के जोखिम को कम करेगी।
 - यह धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्राप्त हो।
- **आधुनिकीकरण और सुधार:** समान नागरिकी संहिता भारतीय वधि प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसमें सुधार की अनुमति देगी, क्योंकि यह समकालीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ कानूनों को अद्यतन करने और सामंजस्य बनाने का अवसर प्रदान करेगी।
- **युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति:** जबकि विश्व डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, युवाओं की सामाजिक प्रवृत्ति एवं आकांक्षाएँ समानता, मानवता और आधुनिकता के सार्वभौमिक एवं वैश्विक सिद्धांतों से प्रभावित हो रही हैं।
 - समान नागरिकी संहिता के अधिनियमन से राष्ट्र निर्माण में उनकी क्षमता को अधिकतम कर सकने में मदद मिलेगी।
- **सामाजिक समरसता:** समान नागरिकी संहिता सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु नियमों का एक सामान्य समूह प्रदान कर विभिन्न धार्मिक या सामुदायिक समूहों के बीच तनाव एवं संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती है।

भारत में समान नागरिकी संहिता के वरिद्ध तरक

- **धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता:** भारत धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध वरिसत वाला एक विविधतापूर्ण देश है।
 - समान नागरिकी संहिता को इस विविधता के लिये एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय वरिस के लिये विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर देगा।
- **धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के वरिद्ध:** भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25-28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
 - कुछ लोगों का तरक है कि समान नागरिकी संहिता इस अधिकार का उल्लंघन करेगी, क्योंकि व्यक्तियों को ऐसे कानूनों का पालन करने की आवश्यकता होगी जो उनके धार्मिक विश्वासों एवं प्रथाओं के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं।
- **आम सहमति का अभाव:** समान नागरिकी संहिता के मुद्दे पर भारत में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव है।
 - इस परदृश्य में, इस तरह के संहिता को लागू करना कठिन है, क्योंकि इसके लिये सभी समुदायों की सहमति एवं समर्थन की आवश्यकता होगी।
- **व्यावहारिक चुनौतियाँ:** भारत में समान नागरिकी संहिता को लागू करने के मार्ग में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे वधियों एवं प्रथाओं की एक वसित शृंखला के सामंजस्य की आवश्यकता और संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ संघर्ष की संभावना।
- **राजनीतिक संवेदनशीलता:** समान नागरिकी संहिता भारत में एक अत्यधिक संवेदनशील एवं राजनीतिकृत मुद्दा भी है और इसका उपयोग प्रायः विभिन्न दलों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिये किया जाता रहा है।
 - इससे इस मुद्दे को रचनात्मक एवं गैर-वभिजनकारी तरीके से संबोधित करना कठिन हो गया है।

भारत में UCC की दशा में क्या प्रयास किये गए हैं?

- **वशिष वविह अधिनियम, 1954:** वशिष वविह अधिनियम, 1954 के तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक वविह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति-रिवाजों से बाहर वविह करने की अनुमति देता है।
- **शाह बानो केस (1985):** इस मामले में शाह बानो द्वारा भरण-पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत खारजि कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125—जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, के तहत शाह बानो के पक्ष में नरिणय दिया था।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अनुशांसा भी की थी कि लंबे समय से लंबित समान नागरिकी संहिता को अंततः अधिनियमित किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल नरिणय (वर्ष 1995) और पाउलो कॉटनिहो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा केस (वर्ष 2019) में भी सरकार से UCC लागू करने का आह्वान किया।

आगे की राह

- **'बरकि बाय बरकि एप्रोच':** भारत में UCC लागू करने के लिये चरणबद्ध प्रक्रिया या 'बरकि बाय बरकि एप्रोच' अपनाई जानी चाहिये, न कि सर्वव्यापी या बहुप्रयोजी दृष्टिकोण। महज समान संहिता लागू किये जाने से अधिक महत्त्वपूर्ण है एक उपयुक्त एवं न्यायपूर्ण संहिता लागू करना।
- **सामाजिक अनुकूलनशीलता पर वचिार:** समान नागरिकी संहिता का खाका तैयार करते समय UCC की सामाजिक अनुकूलनशीलता पर वचिार करने की आवश्यकता है।
 - व्यक्तिगत कानून के उन क्षेत्रों से आरंभ करना उपयुक्त होगा जो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और नरिवादिद हैं, जैसे कि वविह एवं तलाक संबंधी कानून।
 - यह UCC के लिये सर्वसम्मति और समर्थन के निर्माण में मदद कर सकता है, साथ ही नागरिकों के समक्ष वदियमान कुछ सर्वाधिक दबावकारी मुद्दों को भी संबोधित कर सकता है।
- **हतिधारकों के साथ चर्चा एवं वचिार-वमिरश:** इसके साथ ही, UCC को वकिसति करने और लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानूनी वशिषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित हतिधारकों की एक वसित शृंखला को संलग्न किया जाना उपयुक्त होगा।
 - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिकी संहिता विभिन्न समूहों के वविधि दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी तथा इसे सभी नागरिकों द्वारा उचित एवं वैध रूप में देखा जाएगा।

अभ्यास प्रश्न: भारत में समान नागरिकी संहिता के पक्ष एवं वपिक्ष के तरकों की वविचना कीजिये और देश के सामाजिक एवं राजनीतिक परदृश्य पर इस तरह

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????? ?????:

Q1. भारत के संविधान में नहिति राज्य के नीतनिर्देशक सदिधांतों के तहत नमिनलखिति प्रावधानों पर वचिर कीजिये: (वर्ष 2012)

1. भारत के नागरिकों के लयि समान नागरिकि संहिति सुनश्चिति करना
2. ग्राम पंचायतों का आयोजन
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढावा देना
4. सभी कर्मचारियों के लयि उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षिति करना

उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सदिधांत हैं जो राज्य के नीतनिर्देशक सदिधांतों में परलिक्षिति होते हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

Q2. एक ऐसी वधि जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून लागू करने के मामले में एक अनरिदेशिति और अनयित्तरति वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तर: (A)

????????? ?????:

प्र. उन संभावित कारकों पर चर्चा करें जो भारत को अपने नागरिकों के लयि राज्य के नीतनिर्देशक सदिधांतों के अनुसार एक समान नागरिकि संहिति लागू करने से रोकते हैं। (वर्ष 2015)